तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-04-25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत बोहरा द्वारा यह प्रार्थना–पत्र धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंग प्रा.लि. के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बाकिदार के खाता को एनपीए घोषित होने से ऋण के पेटे रहन रखी गई बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पूनड़ द्वारा प्रार्थना–पत्र के द्वारा प्रकरण में सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं । प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 13(2) का नोटिस ऋणी को दिया गया हैं एवं प्रतिभूति आस्ति उनके क्षेत्राधिकार में स्थित है, का ही समाधान करना हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रतिभूत साहूकार एवं ऋणी के बीच विवाद को निर्णीत नहीं करना हैं, पीड़ित पक्षकार सभी आपतियां वसूली अधिकरण के समक्ष उठा सकता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 07.01.2023 को सरफैसी एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था जिसे तकनीकी कारणों से विड्रो कर लिया गया। अप्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों का कथन कर रहे है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सरफैसी एक्ट धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 19.06.2021 प्रेषित किया गया था एवं प्रार्थी कम्पनी उक्त नोटिस को कभी विड्रो नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुए प्रार्थी कम्पनी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:51 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऋण वसूली अधिकरण न्यायालय में उनकी ओर से दायर प्रकरण सं. 27/2023 में दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ऋण

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

अहकाम तारीख की तामील क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वसूली अधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी बैंक की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में अधिकरण में अपील विचाराधीन रहते हुए इस प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी वित्तिय संस्था धानी लोन्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड ने दिनांक 17.01.2023 को नोटिस जारी कर पूर्व में जारी धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के नोटिस को तकनीकी कारणों से अप्रभावी मानते हुए विड्रो कर दिया था जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को स्पीड–पोस्ट के जरिये प्रेषित की थी। प्रार्थी ने श्रीमान ऋण वसूली प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना कर बिना धारा 13 (2) सरफैसी एक्ट का नोटिस जारी किए सीधे की कब्जा प्राप्ति हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर दिया है। जो कि पूर्णत अविधिक है एवं पूर्व मे जारी नोटिस दिनांक 07.01.2023 को वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 17.01.2023 को अप्रभावी मानते हुए विड्रो कर दिया था तथा उसके पश्चात अप्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 14 सरफैसी अधिनियम का आवेदन इसी स्तर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किंया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ–पत्र के मजमून सं. 11 में अंकित हैं कि इस प्रार्थना–पत्र के अलावा माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सम्पति पर किसी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश हैं। इसके अलावा अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के जवाब में भी प्रार्थी के अधिवक्ता ने ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के बारे में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की हैं। प्रार्थी कम्पनी की ओर से सरफैसी एक्ट धारा 13 (4) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था जिसे कम्पनी द्वारा दिनांक 07.01.2023 को विड्रो कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से दर्ज अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी की ओर से इसमें पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त हैं। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा जब धारा 13(2) के अनुसरण में धारा 13(4) के तहत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के नोटिस को विड्रॉ कर लिया है, जिससे कम्पनी का आशय कब्जा प्राप्त करने बाबत स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते हुए हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही प्रवर्तनीय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः प्रकट तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी उक्त अपील के निस्तारण उपरांत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना चाहे तो नये सिरे से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:51 IST
Reason: SelfAttested